15/12/21

अभिलेख उपस्थापित। सभी पक्ष उपस्थित। सभी पक्षों को सुना। वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

मामला पथरगामा अंचल के मौजा द्वारीचक, थाना नम्बर–141 के जमाबंदी नम्बर–10 के अधीन दाग नम्बर–95 रकवा–00–19–00 धूर, दाग नम्बर–96/144 रकवा–00–00–6–10 धुरकी, दाग नम्बर–12 रकवा–00–03–04 धूर, दाग नम्बर–11/1 रकवा–00–01–12 धूर, दाग नम्बर–11/2 रकवा–01–04–19 धूर, दाग नम्बर–43 रकवा–01–08–10 धूर, दाग नम्बर–97/143 रकवा–00–05–04–10 धुरकी, दाग नम्बर–3 रकवा–07–11–00–10 धुरकी, दाग नम्बर 8 रकवा–00–17–12 धूर, दाग नम्बर–108 रकवा–02–06–08 धूर, दाब नम्बर–9– रकवा–00–08–19 धूर एवं दाग नम्बर–5 रकवा–00–01–18 धूर भूमि का नामान्तरण, विश्वनाथ भगत व उमाकांत भगत, दोनों पेसर– स्व० रामचन्द्र भगत, साकिन– द्वारीचक, अंचल–पथरगामा के नाम अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–100/1964 में दिनांक–11.04.1964 को पारित आदेश के द्वारा किये जाने के विरूद्ध नामान्तरण अपीलवाद संख्या–05/2020–21 है।

धीरज भगत पे०–स्व० कपिलदेव भगत, साकिन–पथरगामा, अंचल– पथरगामा, सबडिविजन व जिला–गोड्डा के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 की धारा–15 में निहित प्रावधानों के तहत अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा अंचल न्यायालय, पथरगामा के नामान्तरण वाद संख्या–100/1964 में दिनांक–11.04.1964 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दिनांक–03.10.2019 को दाखिल किया गया है। साथ ही Limitation Act की धारा–5 के तहत अपील हेतु कालबाधित अवधि को Condone करने हेतु आवेदन–पत्र दाखिल किया गया है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि विद्वान अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा पथरगामा अंचल के मौजा द्वारीचक, थाना नम्बर–141 के जमाबंदी नम्बर–10 के अधीन दाग नम्बर–95 रकवा–00–19–00 धूर, दाग नम्बर–96/144 रकवा–00–00–6–10 धुरकी, दाग नम्बर–12 रकवा–00–03–04 धूर, दाग नम्बर–11/1 रकवा–00–01–12 धूर, दाग नम्बर–11/2 रकवा–01–04–19 धूर, दाग नम्बर–43 रकवा–01–08–10 धूर, दाग नम्बर–97/143 रकवा–00–05–04–10 धुरकी, दाग नम्बर–3 रकवा–07–11–00–10 धुरकी, दाग नम्बर 8 रकवा–00–17–12 धूर, दाग नम्बर–108 रकवा–02–06–08 धूर, दाब नम्बर–9– रकवा–00–08–19 धूर एवं दाग नम्बर–5 रकवा–00–01–18 धूर भूमि का नामान्तरण प्रतिवादी विश्वनाथ भगत व उमाकान्त भगत दोनों पे०–स्व० रामचन्द्र भगत साकिन व अंचल–पथरगामा के नाम अंचल अधिकारी, पथरगामा द्वारा दिनांक–11.04.1964 को नामान्तरण वाद संख्या–100/1964 में पारित आदेश में सिर्फ टाइटल पार्टिशन सूट–23/1959 में दिनांक–21.08.1963 को पारित आदेश के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जबकि आदेश में उक्त टाइटल पार्टिशन सूट–23/1959 में दिनांक–21.08.1963 का विवरण उल्लिखित नहीं किया गया है। उनके द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्त्ता प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी रैयत के वंशज हैं एवं प्रश्नगत भूमि अपीलकर्त्ता के दखल–कब्जे में है। जबकि प्रतिवादी, जिनके नाम से अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा भूमि नामान्तरण का आदेश पारित किया गया है, वे बाहरी व्यक्ति

हैं तथा जमाबंदी रैयत से उनका कोई संबंध नहीं है।

वहीं द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कालबाधित अपील को न सुनने का अनुरोध करते हुए अपीलवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि यह अपील आवेदन, उक्त नामान्तरण वाद संख्या–100/1964 में आदेश पारित होने की तिथि 11.04.1964 के बाद 55–56 वर्ष बाद दाखिल किया गया है, जो सुनने योग्य नहीं है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा पथरगामा अंचल के मौजा द्वारीचक, थाना नम्बर–141 के जमाबंदी नम्बर–10 के अधीन दाग नम्बर–95 रकवा–00–19–00 धूर, दाग नम्बर–96/144 रकवा–00–00–6–10 धुरकी, दाग नम्बर–12 रकवा–00–03–04 धूर, दाग नम्बर–11/1 रकवा–00–01–12 धूर, दाग नम्बर–11/2 रकवा–01–04–19 धूर, दाग नम्बर–43 रकवा–01–08–10 धूर, दाग नम्बर–97/143 रकवा–00–05–04–10 धुरकी, दाग नम्बर–3 रकवा–07–11–00–10 धुरकी, दाग नम्बर 8 रकवा–00–17–12 धूर, दाग नम्बर–108 रकवा–02–06–08 धूर, दाब नम्बर–9 रकवा–00–08–19 धूर एवं दांग नम्बर–5 रकवा–00–01–18 धूर भूमि का नामान्तरण प्रतिवादी के नाम से किया गया है, उसका मालिकाना हक प्रतिवादी का है, जो उन्हें सबजज, गोड्डा के टाइटल पार्टिशन सूट नम्बर–23/1959 में दिनांक–07.11.1962 को पारित अंतिम आदेश से प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी के हिस्से में है, अपीलकर्त्ता का उक्त भूमि पर कोई दावा नहीं बनता है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उक्त टाइटल पार्टिशन सूट नम्बर–23/1959 में पारित आदेश की प्रति समर्पित किया गया तथा टाइटल एक्जिक्यूशन केश नम्बर–07/1963 में पारित आदेश की प्रति, रजिस्टर्ड बटवारा डीड नम्बर–84/2000 की प्रति एवं अपीलकर्त्ता द्वारा सबजज, गोड्डा के न्यायालय में दाखिल टाइटल पार्टिशन सूट संख्या–08/1990 के पलेंट की प्रति दाखिल करते हुए दावा किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी के वंशज का मालिकाना हक है और बटवारे के आधार पर ही अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–100/1964 में दिनांक–11.04.1964 को नामान्तरण संबंधी आदेश पारित किया गया है, जो सही है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख तथा समर्पित कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि सबजज, गोड्डा के टाइटल पार्टिशन सूट नम्बर–23/1959 में दिनांक–07.11.1962 को पारित आदेश से प्रतिवादी का मालिकाना हक प्रश्नगत भूमि पर है। सबजज, गोड्डा के टाइटल पार्टिशन सूट नम्बर–23/1959 में दिनांक–07.11.1962 को पारित आदेश एवं टाइटल एक्जिक्यूशन केश नम्बर–07/1963 में पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता का यह दावा कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी का कोई हक नहीं बनता है, गलत सिद्ध होता है। अपील आवेदन पूर्ण रूप से कालबाधित है और इसे सुनने योग्य मेरिट नहीं है। अतः इस अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध करायें एवं इसकी एक प्रति ई-कोर्ट के विभागीय वेबसाइट (पोर्टल) पर अपलोड करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

15.12.21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

15.12.21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.01.08 12:05:23 +05:30
Location: 192.168.29.124